**न्यायालयः— अपर सेशन न्यायाधीश कामां जिला डीग (राज0)**

**पीठासीन अधिकारी : डॉ. मनोज तिवारी, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

**विविध आपराधिक प्रकरण संख्या : 854/2026**

**सीआईएस नंबर : 834/2026**

**सीएनआर नंबर : RJDE080010212026**

**आसब उर्फ आसफ पुत्र नूरू, उम्र 35 वर्ष, निवासी कोलरी, पुलिस थाना सीकरी, जिला डीग (राजस्थान)।**

**—प्रार्थी/अभियुक्त**

**ब ना म**

**राजस्थान राज्य, जरिए अपर लोक अभियोजक, कामां, जिला डीग।**

**—अप्रार्थी**

**जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रकिया संहिता/483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 296/2016 पुलिस थाना कामां, अपराध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता।**

उपस्थिति :—

1. श्री बिनयामिन खां, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

**आ दे श** **दिनांक : 09.06.2026**

**1.** प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 437 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2026 को खारिज करने से व्यथित होकर यह धारा 439 दण्ड प्रकिया संहिता/483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई एवं संबंधित अनुसंधान पत्रावली तलब की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

**2.** विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त के दौराने बहस तर्क रहे हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त का आरोपित अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, उसे इस प्रकरण में कतई झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी होना शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय क्षेत्राधिकार का स्थाई निवासी है, जिसके फरार होने का कोई अंदेशा नहीं है और ना ही गवाहान को टैम्परविद किये जाने का कोई अंदेशा है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय संतोष की जमानत देने को तैयार व तत्पर हं। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

**3.** इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा **379 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत गम्भीर अपराध का आरोप प्रमाणित है। प्रकरण में अभी अनुसंधान लम्बित है। अन्त

में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

**4.** प्रकरण में दिनांक 07.06.2016 को परिवादी श्री साहिल द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना कामां पर मु.नं. 296/16 धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कराये जाने पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धारा में जुर्म प्रमाणित पाने पर उसको दिनांक 29.05.2026 को गिरफ्तार किया गया।

**5.** केस डायरी में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त दर्ज आपराधिक प्रकरणों की सूची निम्न प्रकार है–

| **क्र. सं.** | **मुकदमा नंबर** | **थाना** | **अन्तर्गत धारा** | **नतीजा** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 148/2006 | गोविन्दगढ़ | 379, 411 भा.दं.सं. | 110/2006 |
| 2. | 15/2011 | सीकरी | 379, 411 भा.दं.सं. | 02/2011 |
| 3. | 11/2011 | सीकरी | 3/25 आर्म्स एक्ट | 15/2011 |
| 4. | 213/2014 | उद्योग नगर भरतपुर | 379, 411 भा.दं.सं. | 364/2016 |

**6.** उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली व पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा **379 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध का आरोप प्रथमदृष्ट्या पाया गया। हालांकि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, परन्तु प्रकरण वर्ष 2016 में पंजीबद्ध होने के पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त को लगभग 10 वर्ष लम्बी समयावधि के पश्चात् अथक प्रयासों से स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट की पालना में गिरफ्तार किया गया है। जिससे प्रकरण के अनुसंधान व अन्वीक्षा में अनावश्यक विलम्ब कारित हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा समान प्रकृति के 03 अन्य प्रकरणों सहित कुल 04 आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध हैं, जिससे उसका आदतन आपराधिक प्रवृति का होना दर्शित होता है तथा पुनः अपराध कारित किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त नीरू यादव बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (2014) 16 एस.सी.सी. 508** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **"अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान करते समय न्यायालय को उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि एवं अन्य परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए।"** अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता, प्रार्थी/अभियुक्त के लम्बी अवधि तक फरार रहने के

तथ्य एवं आपराधिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

## आ दे श

**7.** फलस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त **आसब उर्फ आसफ पुत्र नूरू, उम्र 35 वर्ष, निवासी कोलरी, पुलिस थाना सीकरी, जिला डीग (राजस्थान)** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता/483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

**8.** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMW (Cri) No. 4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31-01-2023 की पालना में आदेश की प्रति अभियुक्त को सूचित करने हेतु संबंधित कारागृह को जरिये ई–मेल भिजवाई जावे।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
कामां, जिला डीग

**9.** आदेश आज दिनांक **09.06.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(डॉ. मनोज तिवारी)
अपर सेशन न्यायाधीश,
कामां, जिला डीग